रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022025-261089
CG-DL-E-17022025-261089

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 125] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 14, 2025/माघ 25, 1946
No. 125] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 14, 2025/MAGHA 25, 1946

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 फ़रवरी, 2025

फा. सं 3-42/2024/एनसीएच/एचईबी/ पीजी. रजि. भाग I—राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) की धारा 16 और धारा 26 के साथ पठित धारा 55 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (आर) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- - (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (होम्योपैथी स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम- होम्योपैथी में डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) विनियम, 2024, (जिसे इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा), विनियम 9 के उप-विनियम (1)

में, खंड (ख) में, दोनों स्थानों पर आने वाले शब्द "एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर" के स्थान पर, शब्द "सहायक प्रोफेसर या

एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त विनियमन के विनियमन 10 में, उप-विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित विनियमन अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) यदि गाइड सहायक प्रोफेसर संवर्ग का है तो छात्र-गाइड अनुपात 1:1 होगा।"

4. उक्त विनियमनों के विनियमन 14 में, -

(क) खंड (3) में, "सात सीटों" शब्दों के स्थान पर, "छह सीटें" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) खंड (9) में, उपखंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) सभी मेडिकल कॉलेज/संस्थान आवश्यक कर्मचारियों (संकाय, रेजीडेंट और सहायक कर्मचारी) की उपस्थिति दर्ज करने के लिए केंद्रीकृत आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से जुड़ेंगे और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग केंद्रीकृत आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से ऑनलाइन उपस्थिति डेटा प्राप्त करेगा।"

5. उक्त विनियमन के विनियमन 15 में, उप विनियमन (1) में, तालिका के स्थान पर, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"तालिका

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्रोफ़ेसर	सह - प्राध्यापक	सहायक प्रोफेसर
(1)	होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका	1	1	1
(2)	ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फिलॉसफी	1	1	1
(3)	होम्योपैथिक रिपर्टरी और केस टेकिंग	1	1	1
(4)	होम्योपैथिक फार्मेसी	1	1	1
(5)	चिकित्सा अभ्यास	1	1	1
(6)	बाल चिकित्सा	1	1	1
(7)	मनोचिकित्सा	1	1	1
(8)	सामुदायिक चिकित्सा	1	1	1
(9)	त्वचारोग विज्ञान	1	1	1
(10)	शोध प्रविधि एवं जैवसांख्यिकी	1	1	-".

6. उक्त विनियमों के विनियम 16 में, उप-विनियम (1) से (9) तक, खंड (घ) में, सभी खंडों में आने वाले

शब्दों:- "एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर" के स्थान पर क्रमशः " एक सहायक प्रोफेसर, एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक प्रोफेसर" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

डॉ. तारकेश्वर जैन, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./982/2024-25]

नोट: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, दिनांक 19 मार्च 2024 को फा. सं 3-42/2021/एनसीएच/एचईबी/ पीजी. रजि. के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे।

NATIONAL COMMISSION FOR HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th February, 2025

F. No. 3-42/2024/NCH/HEB/PG Reg. Pt. I—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (r) of sub-section (2) of section 55 read with section 16 and of section 26 of the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (15 of 2020), the National Commission for Homoeopathy hereby makes the following amendment in the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy) Regulations, 2024.namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These regulations may be called the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy) Amendment Regulations, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Commission for Homoeopathy (Homoeopathy Post-Graduate Degree Course- Doctor of Medicine in Homoeopathy) Regulations, 2024, (herein after referred to as the said regulations), in sub- regulation (1) of regulation 9, in clause (b) , for the words " Associate Professor or Professor " occurring at both places, the word " Assistant Professor or Associate Professor or Professor " shall be substituted.

3. In regulation 10 of the said regulations, after sub – regulation (2), the following regulation shall be inserted, namely:-

"(3) The student- guide ratio shall be 1:1 if the guide is of Assistant Professor cadre."

4. In regulation 14 of the said regulations, -
   (a) In clause (3), for the words "seven seats" , the words " six seats" shall be substituted.
   (b) In clause (9), for sub-clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely: -

   "(a) All Medical Colleges/Institution shall connect with centralized Aadhaar Enabled Biometric Attendance System for marking attendance of the required staff (faculty, residents and supporting staff) and National Commission for Homoeopathy will access attendance data online from centralized Aadhaar Enabled Biometric Attendance System."

5. In regulation 15 of the said regulations, in sub regulation (1), for the table, the following Table shall be substituted, namely: -

"Table

Sr. No.	Name of Department	Professor	Associate Professor	Assistant Professor
(1)	Homoeopathic Materia Medica	1	1	1
(2)	Organon of Medicine and Homoeopathic Philosophy	1	1	1
(3)	Homoeopathic Repertory and Case Taking	1	1	1
(4)	Homoeopathic Pharmacy	1	1	1
(5)	Practice of Medicine	1	1	1
(6)	Pediatrics	1	1	1
(7)	Psychiatry	1	1	1
(8)	Community Medicine	1	1	1
(9)	Dermatology	1	1	1
(10)	Research Methodology and Biostatistics	1	1	-" .

6. In regulation 16 of the said regulations, in sub-regulation (1) to (9), in clause (d), for the words:- " Associate Professor and one Professor" occurring in all the clauses, the words "one Assistant Professor, one Associate Professor and one Professor" shall respectively be substituted.

Dr. TARKESHWAR JAIN, President

[ADVT.-III/4/Exty./982/2024-25]

Note: The Principal regulations were published in the gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 , vide number F. No. 3-42/2021/NCH/HEB/PG.Reg. , dated the 19th March , 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.02.17 11:54:00 +05'30'